

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 096.

दूरभाष सं. 28290143/ 28292147 तार :- सीप्रोजोन फॅक्स सं. 28291385/ 28291754
ई-मेल : dcseepz@seepz.gov.in वेबसाईट : www.seepz.gov.in


सीपज़ सेज/सुरक्षा विभाग/युनिट/जीपी/2011-12/पार्ट फाईल -2 /4781

दिनांक — 28.03.2015

परिपत्र सं. 35/ 2015

मौजूदा कारों / दुपहियों/बसों के पास की वैधता अवधि दिनांक 31.3.2015 तक है। स्टीकरों की वैधता अवधि अगले एक महीने अर्थात दिनांक 30.4.2015 तक बढ़ाई जाती है।

सभी इकाइयों से अनुरोध है कि वे नए स्टीकर के लिए दिनांक 30.3.2015 तक अथवा इसके पहले आवेदन करें तथा दिनांक 30.4.2015 से पूर्व नए स्टीकर अवश्य प्राप्त करले। इसके पश्चात बिना नए स्टीकरों वाले वाहनों को सीपज़-सेज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


#12 सुरक्षा अधिकारी
सीपज़ - सेज

- प्रति:-
1. विकास आयुक्त की कार्यपालक
 2. सीपज़ सेज के सभी यूनिट
 3. सीपज़-सेज के सभी बैंक
 4. सीमा,
 5. जेम्स अँड ज्वेलरी अशोसिएशन
 6. सीपज़ ++ ब्लॉक I प्रिमाइसेस सोसायटी सीपज़ सेज
 7. सीपज़ ++ ब्लॉक II प्रिमाइसेस सोसायटी सीपज़ सेज
 8. सीमा शुल्क अनुभाग
 9. सूचना - पट्ट